जे.के.जे ज्वैलर्स और जोशी ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार सुबह साढ़े 5 बजे तीन राज्यों में जे.के.जे. ज्वैलर्स और जोशी ग्रुप पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद ज्वैलर्स में हड़कंप मच गया। जयपुर में जे.के.जे. ज्वेलर्स ग्रुप के श्याम नगर स्थित घऱ और एम.आई. रोड, मानसरोवर, विद्याधर नगर स्थित शोरूम में सर्च किया गया। दरअसल, जे.के.जे. ज्वैलर पर हवाला का काम करने का आरोप है। साथ ही सर्च के दौरान सट्टे से जुड़े कागज भी मिले है। बताया जा रहा है कि आयकर टीमों ने जयपुर, दिल्ली और कोलकाता में करीब 20 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है।

आयकर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कोलकाता में कई फर्जी कंपनियों के जरिए जे.के.जे. ग्रुप के लोग सोने-चांदी का कारोबार कर रहे थे। टैक्स चोरी को लेकर भी कई जानकारी आयकर विभाग को मिली थी। इस पर मंगलवार सुबह साढ़े 5 बजे से छापेमारी शुरू की गई। जयपुर में सबसे पहले श्याम नगर स्थित ज्वैलर के आवास पर छापेमारी की गई। इसके बाद उनके एम.आई. रोड, विद्याधर नगर और मानसरोवर स्थित शोरूम में सर्च शुरू किया गया। टीम को इस सर्च में क्या मिला, अभी तक इस बारे में कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आयकर अधिकारियों का कहना है कि उनकी कई टीमें हैं। जिन्होंने जयपुर दिल्ली और कोलकाता में एक साथ सर्च किया।

सूत्रों के अनुसार, मामला हवाला और मटका (सट्टा) कारोबार से भी जुड़ा हुआ है। सर्च के दौरान आयकर विभाग की टीम को संचालकों के कई लॉकर्स की जानकारी मिली है। इसके आधार पर आयकर टीमों ने जे.के.जे. और जोशी समूह के लॉकर सील किए हैं। इनकी आने वाले समय में जांच की जायेगी। जे.के.जे. और जोशी समूह के ठिकानों से कई दस्तावेज मिले हैं, जो की मटका कारोबार से जुड़ा होना पाया गया है। आईपीएल क्रिकेट लीग में सट्टे से भी जोड़कर इसे देखा गया है।

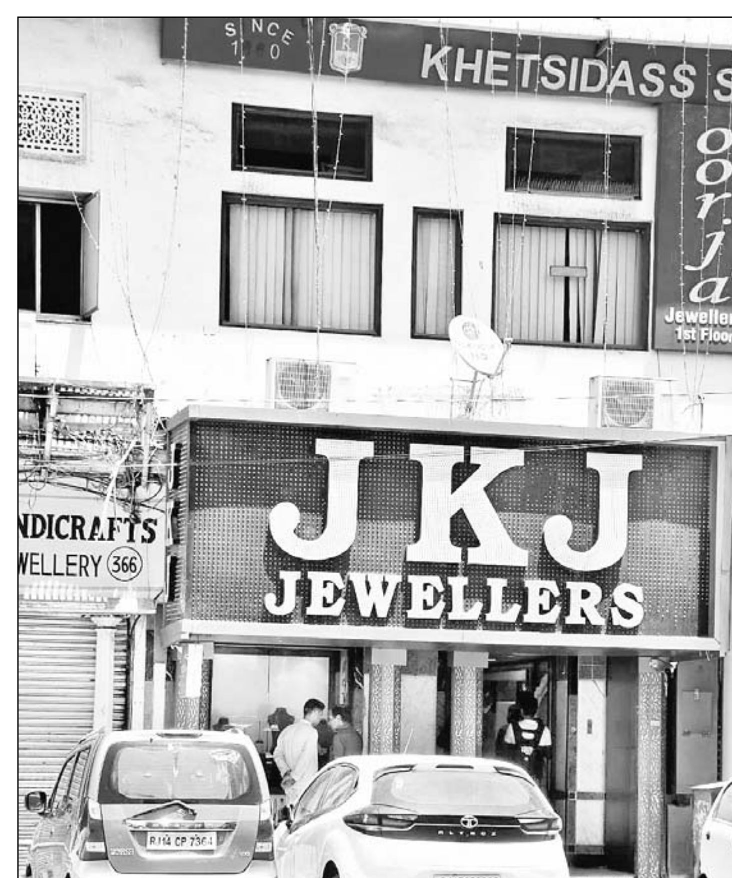

आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार सुबह एम.आई.रोड स्थित जे.के.जे. ज्वैलर्स पर छापा मारा।

- **फर्जी कंपनियों के जरिए सोने-चांदी के कारोबार, सट्टा और हवाला कारोबार को लेकर की जा रही है जांच**
- **आयकर टीमों ने जयपुर, दिल्ली और कोलकात्ता में एक साथ करीब 20 से अधिक ठिकानों पर दबिश देकर सर्च की कार्रवाई की**
- **जयपुर में जे.के.जे. ज्वैलर्स ग्रुप के श्याम नगर स्थित घऱ और एम.आई. रोड, मानसरोवर, विद्याधर नगर स्थित शोरूम में सर्च किया गया है।**
- **इस सर्च कार्रवाई में क्या मिला, इसकी अधिकारिक जानकारी फिलहाल आयकर विभाग ने साझा नहीं की है। हालांकि सूत्रों की मानें तो आयकर टीमों ने संचालकों के कई लॉकर्स सील किए हैं, जिनकी जल्द ही जांच की जायेगी।**

सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग के पास जानकारी है कि जे.के.जे. और जोशी समूह का पिछले कुछ समय से सोने के बढ़े हुए दामों के कारण प्रोफिट बढ़ा है। इनके द्वारा जो टैक्स चुकाया गया, वह वह प्रोफिट के अनुसार टैक्स नहीं है। बताया जा रहा है कि तीनों राज्यों में करीब 20 से अधिक ठिकानों पर सर्च किया जा रहा है। जयपुर में 13, दिल्ली में 3 और कोलकाता में 4 जगहों पर आयकर टीमों ने सर्च किया है। जयपुर में कार्रवाई के दौरान आयकर टीम जयपुर में अलग-अलग शोरूम पर गई थी। करीब 150 से अधिक आयकर कर्मी छापेमारी में शामिल है।

मुख्यमंत्री से प्रवासी राजस्थानियों ने की शिष्टाचार भेंट

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रांची प्रवास के दौरान मंगलवार को राजस्थान स्टेट के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के स्टेट प्रेसिडेंट राजू मंगोड़ीवाला के नेतृत्व में प्रवासी राजस्थानियों और विभिन्न ट्रेड एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। रांची आगमन पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रांची प्रवास के दौरान आज राजस्थान स्टेट के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के स्टेट प्रेसिडेंट राजू मंगोड़ीवाला के नेतृत्व में प्रवासी राजस्थानियों और विभिन्न ट्रेड एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने शिष्टाचार मुलाकात की और रांची आगमन पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। होटल रैडिशन ब्लू में हुई भेंट के दौरान प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को शॉल व पुष्पगुच्छ देकर अभिवादन किया।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि बिनोद अग्रवाल ने कहा कि झारखण्ड-बिहार समेत पूर्वी भारत में राजस्थान के लाखों प्रवासी राजस्थानी निवास करते हैं जिन्होंने अपने कौशल, बुद्धिमता और कठोर परिश्रम से राज्य व क्षेत्र के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाई है। हमारी ईच्छा है कि हम अपनी जन्मभूमि राजस्थान के विकास में भी अपनी भागीदारी निभायें। यह आग्रह किया कि राजस्थान सरकार द्वारा एक टीम का गठन किया जाय जो पूर्वी भारत के क्षेत्रों का दौरा कर, प्रवासी राजस्थानियों से समन्वय बनाकर प्रदेश में निवेशकों के अनुकूल नीतियों का निर्माण करे और राजस्थान में निवेश के लिए राजस्थानी प्रवासियों को आमंत्रित करे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों के द्वारा राज्य के विकास में किये जा रहे सकारात्मक योगदान की प्रशंसा की। मौके पर मधुसूदन अग्रवाल, सुशील अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल, पलक टिया, सालासर वाले परमेश्वर जी शर्मा समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

विधानसभा की साख को आंच न आये : देवनानी

जयपुर, (का.सं.)। विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा के अधिकारियों व कर्मचारियों का आव्हान किया कि वे ईमानदारी और निष्ठा से ऐसे कार्य करें कि विधानसभा की साख को कोई आंच न आये। उन्होंने कहा कि कार्यशैली से ही संस्थान की पहचान होती है।

देवनानी मंगलवार को यहां विधानसभा में मुख्य अन्वेषण एवं संदर्भ अधिकारी देवकी नन्दन गुप्ता की अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर आयोजित सेवानिवृत्ति समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।गुप्ता का साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्हा भेंट कर अध्यक्ष देवनानी और प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने अभिनन्दन किया। देवनानी ने कहा कि विधानसभा की गरिमा है। यहां कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मी की कार्यशैली विशिष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने कहा कि राजकीय कार्य प्रसन्नता पूर्वक धैर्य के साथ करें। गुप्ता ने अपने 35 वर्ष की राजकीय सेवा के अनुभव बताये। समारोह में उप सचिवसंजीव शर्मा औररघुवीर सिंह सहित विधानसभा के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

श्रमिक दिवस पर शुभकामनाएं दीं

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस (1 मई) पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

राज्यपाल मिश्र ने श्रम संस्कृति के सम्मान से राष्ट्र के नव निर्माण का आव्हान किया है। उन्होंने कहा कि श्रमिक राष्ट्र की अनमोल धरोहर है, उनके अथक परिश्रम से ही देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने श्रमिक दिवस पर श्रमिकों के विकास की सोच रखकर कार्य करने पर जोर दिया है।

मिश्र ने अंतरराष्ट्रीय मज़दूर दिवस पर सभी श्रमिकों के खुशहाल और समृद्ध जीवन की कामना की है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रदेश के श्रमिकों को अन्तरराष्ट्रीय श्रम दिवस पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि देश की तरक्क्ी में श्रमिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। औद्योगिक ढांचों में श्रमिकों का श्रम दिखाई देता है। श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल एक मई को मनाए जाने वाले श्रम दिवस पर श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।

डॉ.अर्चना शर्मा के दस करोड़ रुपए के मानहानि परिवाद पर जवाब मांगा

- **विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेसी नेता के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानिपूर्ण ऑडियो वायरल करने से जुड़ा है मामला**

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेसी नेता डॉ. अर्चना शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानिपूर्ण ऑडियो वायरल करने से जुडे मामले में राजीव अरोडा, पूर्व सहायक महावीर उपाध्याय, विचार व्यास, रामचन्द्र गर्ग व महेश शर्मा को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने इनसे 27 मई तक जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह आदेश डॉ. अर्चना शर्मा के मानहानि दावे पर दिए।

दावे में अधिवक्ता एके जैन ने बताया कि प्रार्थिया मालवीय नगर से कांग्रेस प्रत्याशी थी और प्रदेश में 25 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव होने थे। प्रतिवादी महावीर उपाध्याय, वादी का पूर्व में सहायक कार्यकर्ता था, लेकिन ढाई साल पहले उसे हटा दिया था। इसके चलते प्रतिवादी ने 22 नवंबर को एक कूटरचित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया और उसमें वादी की कूटरचित आवाज से यह बताया कि वह लोगों को डरा धमका कर उनसे वसूली व ब्लैकमेल करती है। ऐसा उसने वादी को ब्लेकमेल व संपत्ति हडपने के लिए किया था। इसकी रिपोर्ट उसने सांगानेर पुलिस थाने में भी दर्ज कराई थी, लेकिन प्रतिवादियों ने इस ऑडिया को व्हाट्सअप व यूट्यूब पर भी चलाया और इससे वादी के परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। प्रतिवादियों ने ऐसा राजनीतिक द्वेषता से किया है। जिसके चलते उसकी व उसके परिवार की प्रदेश सहित अन्य जगहों पर भी बदनामी हुई है। ऐसे में वह प्रतिवादियों से दस करोड रुपए की क्षितपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारी है।

राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के 28 प्रकरणों का निस्तारण

जयपुर, (का.सं.)। सुशासन में राज्य कर्मियों की अहम भूमिका को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के 28 प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से किया है। कुल निस्तारित प्रकरणों में से 17 प्रकरण सेवानिवृत अधिकारियों के विरुद्ध लंबित थे जिनमें से तीन प्रकरण 15 वर्ष से भी अधिक अवधि से प्रक्रियाधीन थे।

मुख्यमंत्री ने कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के एक प्रकरण में आरोपित अधिकारी की शत प्रतिशत पेंशन रोकने के निर्देश दिए। शर्मा ने लंबे समय से स्वेच्छा से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चलने वाले दो अधिकारियों को राज्य सेवा से बर्खास्त करने के आदेश दिए। इसके अतिरिक्त जांच एवं अपील के दो प्रकरणों में आरोपित अधिकारियों को आरोपों से बरी भी किया गया। शर्मा ने कार्मिक विभाग के स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों के परीक्षण में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे प्रकरणों की 30 जून 2024 तक की विभागवार स्थिति से जुलाई माह के प्रथम सप्ताह तक अवगत कराए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने न्यायिक आदेशों से प्रभावित प्रकरणों में भी प्रभावी पैरवी किए जाने के निर्देश दिए ताकि इन प्रकरणों का भी प्राथमिकता से निस्तारण किया जा सके।

कराते व कोबुडो बेल्ट ग्रेडिंग में 562 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया

जयपुर, (का.सं.)। मुरलीपुरा स्थित इंडियन मार्शल आर्टस अकादमी की कराते व कोबुडो बेल्ट ग्रेडिंग जमुना विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू लोहा मंडी रोड जयपुर में संपन्न हुई। इसमें 562 कराते छात्र-छात्राओं ने भाग लिया जिसमें एस.एन कॉन्वेंट, सेंट जेवियर स्कूल, एसएमएस स्कूल, भवानी निकेतन स्कूल, एसवीएम स्कूल, लोटस स्कूल, जी.आर ग्लोबल अकैडमी, महाराजा सवाई मानसिंह स्कूल, श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल, के व अन्य कराते छात्र-छात्राओं ने भाग लिया जिसमें उत्तर भारत के मुख्य प्रशिक्षक गोजू रयू केंनशीकाय के सिंहान महेंद्र गहलोत ब्लैक बेल्ट 6 डिग्री के सानिध्य में हुई।

इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जमुना विद्यापीठ के निदेशक मीर सिंह चौधरी, विक्रम सिंह गजराज व विशिष्ट अतिथि एडवोकेट अशोक शर्मा (पापुलर नेम मोदी जी) राजस्थान हाईकोर्ट उपस्थित रहे इसमें येलो बेल्ट में कार्तिक यादव, ब्लैक बेल्ट में आयुषी शर्मा, रूद्र पारीक, अव्वल रहे। इस अवसर पर चौथमल, मुकुल गोड, पूजा सैनी आदि शामिल हैं।

अजमेर लोकसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान 2 मई को

जयपुर, (का.स.)। भारत निवाचन आयाग न लाकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान राजस्थान के अजमेर लोकसभा क्षेत्र में नान्दसी गाँव में एक पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को मतदान हुआ था।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र क मतदान कद्र सख्या 195, राजकाय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नान्दसी के कमरा संख्या 1 में स्थित बूथ पर दोबारा मतदान 2 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि निर्वाचन विभाग ने आयोग के निर्देशानुसार पुनर्मतदान की सभी तैयारियां कर ली हैं।

राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को विदाई दी

राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लौटने पर उन्हें भाव भरी विदाई दी। इससे पहले राज्यपाल मिश्र ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मंगलवार को जयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर भावभीनी अगवानी की थी। उन्होंने पुष्प गुच्छ भेंट कर उपराष्ट्रपति का अभिनन्दन किया।

नम्बर मिलाइए 9587884433

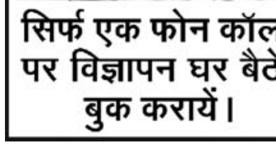

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम राजेश कुमार पुत्र मिर्चू मल नाजवानी से बदलकर राजेश नाजवानी पुत्र मिर्चू मल नाजवानी रख लिया है भविष्य में इसी नाम से जाना जावे। पता 120 सिंधी कॉलोनी, झूलेलाल मंदिर के पास, सांगानेर, जयपुर

मैंने अपना नाम अपने पति फौजी नम्बर 15686006-एम, जितेन्द्र चौहान, निवासी ओन्हाइच पोस्ट बागली, पिजरा, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश-275101 के आर्मी रिकॉर्ड में सारदा देवी से शारदा रख लिया है, भविष्य में मुझे शारदा के नाम से जाना जाए।

मैं मेरा नाम अनीता कुमारी सोनी से बदलकर अनीता सोनी पत्नी श्री अनिल कुमार सोनी, निवासी 62-बी, प्रेम नगर-फर्स्ट, गुर्जर की थडी, जयपुर (राज.)-302019 रख रही हूँ भविष्य में मुझे मेरे उक्त नये नाम से ही जाना पहिचाना जावे।

मैंने अपना नाम घनश्याम से बदलकर घनश्याम शर्मा रख लिया है। भविष्य में मुझे घनश्याम शर्मा पुत्र ग्यारसीलाल शर्मा निवासी श्रीमाधोपुर, सीकर वर्तमान पता-प्लॉट नं. 11, गणपति नगर, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर के नाम से जाना जाये।

I MOHAMMED SAHIL S/o Mohd Amjad R/o 77 Lane No.4, Ganga Sagar-B, Vaishali Nagar, Jaipur have changed my name from MOHAMMED SAHIL to MOHD SAHIL for all future purpose.

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य श्यामसुन्दर शर्मा उर्फ कुलेश शर्मा पुत्र श्री तुलसीराम दत्तक पुत्र स्व. श्रीमति मोहिनी देवी पत्नी स्व. श्री नारायण जाति स्वामी निवासी प्लाट नम्बर बी 55 हीदा की मोरी, लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर जिला जयपुर राजस्थान का है। मेरे अभिभाष्य ने श्री सुनील सांगवान पुत्र श्री धर्मवीर सांगवान जाति जाट निवासी 370सी, रानीसती नगर निर्माण नगर जयपुर को दिनांक 05.10.2012 को अपनी ग्राम कस्बा आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थिति भूमि के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही करने के लिए मुख्त्यारखास नियुक्त किया था। श्री सुनील सांगवान ने कपटपूर्वक मुख्त्यारखास की जगह मुख्त्यारनामाआम भूमि को हस्तान्तरण करने का अधिकार सहित दिनांक 05.10.2012 को निष्पादित करवा कर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवा लिया था उक्त तथ्य मेरे अभिभाष्य की जानकारी में आते ही मेरे अभिभाष्य ने उक्त तथाकथित मुख्त्यारनामा आम दिनांक 05.10.2012 को दिनांक 29.04.2024 को 500/- रू. के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर एवं दो पाईप पेपर पर मुख्त्यारनामाआम निरस्त विलेख निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से समक्ष गवाहान प्रमाणित करवा कर निरस्त कर दिया है। उक्त मुख्त्यारनामा आम के आधार पर बेहैसियत मुख्त्यारनामाआम की गई समस्त कार्यवाहीयों का मेरा अभिभाष्य खण्डन करता है, ऐसे कार्यवाहिया जो समाप्त हो चुकी है और जो लम्बित है मेरा अभिभाष्य के हक तक शुन्य है। सूचित रहे।
दिनांक-29.04.2024 जगदीश सैनी, एडवोकेट
जयपुर मो. 9982939521

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य मनोज शर्मा पुत्र स्व. तुलसीराम जाति स्वामी निवासी प्लाट नम्बर बी 55 हीदा की मोरी, लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर जिला जयपुर राजस्थान का है। मेरे अभिभाष्य ने श्री सुनील सांगवान पुत्र श्री धर्मवीर सांगवान जाति जाट निवासी 370सी, रानीसती नगर निर्माण नगर जयपुर को दिनांक 05.10.2012 को अपनी ग्राम कस्बा आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थिति भूमि के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही करने के लिए मुख्त्यारखास नियुक्त किया था। श्री सुनील सांगवान ने कपटपूर्वक मुख्त्यारखास की जगह मुख्त्यारनामाआम भूमि को हस्तान्तरण करने का अधिकार सहित दिनांक 05.10.2012 को निष्पादित करवा कर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवा लिया था उक्त तथ्य मेरे अभिभाष्य की जानकारी में आते ही मेरे अभिभाष्य ने उक्त तथाकथित मुख्त्यारनामा आम दिनांक 05.10.2012 को दिनांक 29.04.2024 को 500/- रू. के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर एवं दो पाईप पेपर पर मुख्त्यारनामाआम निरस्त विलेख निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से समक्ष गवाहान प्रमाणित करवा कर निरस्त कर दिया है। उक्त मुख्त्यारनामा आम के आधार पर बेहैसियत मुख्त्यारनामाआम की गई समस्त कार्यवाहीयों का मेरा अभिभाष्य खण्डन करता है, ऐसे कार्यवाहिया जो समाप्त हो चुकी है और जो लम्बित है मेरा अभिभाष्य के हक तक शुन्य है। सूचित रहे।
दिनांक-29.04.2024 जगदीश सैनी, एडवोकेट
जयपुर मो. 9982939521

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत- प्रथम
राजस्थान आवासन मंडल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक: 1020 आम जाहिर सूचना दिनांक 30.04.2024
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 176/95 (MIG-A), (एरिया 119.25 वर्गमीटर) का आवंटन श्री राजकुमार पुत्र श्री आर.सी. कल्याण को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3520 दिनांक 27.08.2001 को जारी किया गया था। उनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 05.02.2002 को उप पंजीयक, सांगानेर जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री राजकुमार की मृत्यु दिनांक 06.11.2005 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती सुखविन्दर कौर पत्नी स्व. श्री राजकुमार द्वारा आवासन मण्डल मे अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती सुखविन्दर कौर पत्नी स्व. श्री राजकुमार का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
संपदा प्रबंधक, वृत प्रथम, राज. आ. मण्डल, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री राजू नाटाणी पुत्र श्री घासीलाल नाटाणी निवासी-ए-11, अग्रवाल वालों का मौहल्ला, झोटवाडा, जयपुर ने एक सम्पत्ति कृषि वाके ग्राम शिवदासपुरा पटवार हल्का शिवदासपुरा, तहसील चाकसू में खसरा नंबर 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 कुल खसरा 6 कुल रकबा भूमि 1.38 है. को सीताराम मीणा पुत्र श्री भूराराम निवासी शिवदासपुरा तहसील चाकसू से जरिये इकरारनामा दिनांक 14.05.2010 को क्रय की गयी है जिसकी सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल की राशि मेरे अभिभाष्य द्वारा विक्रेता को अदा कर दी है। उक्त भूमि पर विक्रेता सीताराम का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बैंक, संस्था आदि के द्वारा उक्त सीताराम से उक्त वर्णित भूमि के बाबत कोई संव्यवहार करता है तो ऐसा संव्यवहार शून्य समझा जावेगा तथा मेरे अभिभाष्य के मालिकाना हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। सूचित रहे।
जयपुर (नईमुद्दीन) एडवोकेट
दिनांक-30.04.2024 मो. 9352442148

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती हमीदन पत्नी स्व. श्री मोहम्मद इस्तियाक, निवासी म.नं. 4डी/205/20, मोहनदास चौक, राणा कॉलोनी, नाहरी का नाका, जयपुर की है, मेरी अभिभाष्या हमीदन एवं उनके पति मोहम्मद इस्तियाक द्वारा अपने पुत्र इस्तेखार को अपनी चल-अल सम्पत्ति से बेदखल कर एक आम सूचना अपने अधिवक्ता अब्दुल हनीफ खान के जरिये दिनांक 20.10.2021 को पंजाबी केसरी अखबार में प्रकाशित करवाई थी। उक्त प्रकाशन के कुछ दिनों पश्चात ही इस्तेखार मेरी अभिभाष्या एवं मोहम्मद इस्तियाक की सेवा करने लगा, जिससे प्रभावित होकर मोहम्मद इस्तियाक एवं मेरे अभिभाष्या ने उसे उक्त प्रकाशन से पूर्व की भांति समस्त प्रकार के अधिकार दे दिये थे, मेरी अभिभाष्या के पति मोहम्मद इस्तियाक का दिनांक 03.11.2021 को स्वर्गवास हो गया, इसलिए मेरी अभिभाष्या स्वयं पूर्व में निकाली गयी आम सूचना दिनांक 20.10.2021 को निरस्त करती है तथा घोषणा करती है कि मेरी अभिभाष्या का पुत्र इफ्तेखार उनकी समस्त प्रकार की चल-अचल सम्पत्ति का अधिकारी होगा। सूचित रहे।
जयपुर (अब्दुल सलाम सांखला) एडवोकेट
दिनांक मो.नं. 98291-84678
हस्ताक्षर-(श्रीमती हमीदन)

कार्यालय उपायुक्त (विधाधर जोन) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(अम्बाबाडी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाडी सर्किल, जयपुर)
क्रमांक : एफ-55 () वि. जोन/ न. नि.ज. (ग्रे)/ 2024/73
सार्वजनिक सूचना दिनांक: 23/4/2024
भूखण्ड सं. 146 ए चांद बिहारी नगर खातीपुरा (शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री महेश कुमार पटवा, श्रीमती सरोज देवी के पक्ष में क्षेत्रफल 69.67 वर्गगज का भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्री अरूण प्रताप सिंह पुत्र श्री भगवान प्रसाद सिंह ने भूखण्ड सं. 146 ए चांद बिहारी नगर खातीपुरा (शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति) का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त विधाधर नगर जोन नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज
(पुराना पुलिस मुख्यालय, हवामहल के पीछे, बडी चौपड, जयपुर)
(राजस्व-द्वितीय, प्रकोष्ठ)
क्रमांक-एफ-6()उप.राज.-द्वितीय(सा.प्र.)/ननिज/2024/1230
दिनांक-25/4/24
सार्वजनिक सूचना
मूल भूखण्ड संख्या बी-299, जनता कॉलोनी, जयपुर का नगर विकास न्यास द्वारा भूरे खाँ के नाम से क्षेत्रफल 333.33 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया गया था। श्री प्रितम सिंह की मृत्यु उपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत नामा अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा श्रीमती कमल प्रीत कौर के पक्ष में क्षेत्रफल 333.33 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण जारी जाना है। इस नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म कम्पनी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त लैण्ड शाखा) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद नियमानुसार नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त (लैण्ड शाखा) नगर निगम जयपुर हैरिटेज

खोया पाया

मेरे प्लाट नं. 18, बरकत नगर IV का पट्टा, अलोटमेंट लैटर, ट्रांसफर रसीदे एवं अन्य कागजात दिनांक 26.04.2024 को चौगान स्टेडियम के आसपास कहीं गिर गये है। मिलने पर सूचित करें। अब्दुल शकीर-9829986131

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत-प्रथम,
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:1041 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक:03.04.2024
राजस्थान आवासन मण्डल की मुख्यमंत्री जन आवास योजना सेक्टर -08 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर में आवेदिका श्रीमती सुशीला पत्नी श्री वसन्ता द्वारा आवेदन क्रमांक RHB/026004 अल्प आय वर्ग में आवास आवंटन हेतु निवेदन किया गया था। मण्डल नियमानुसार वरियता लॉटरी दिनांक 25.01.2022 के द्वारा वरियता क्रमांक P-10/G-IV/HPS/LIG / Sec - 08 / 2021 निर्धारित किया जाकर पूर्व ग्रहण राशि मांग क्रमांक 14093 दिनांक 17.01.2023 जारी किया गया था। तत्पश्चात फ्लैट लॉटरी दिनांक 29.09.2023 के द्वारा फ्लैट संख्या 83/VDN/201 (2-F) आवंटित किया गया।श्रीमती सुशीला की मृत्यु दिनांक 13.01.2023 को हो जाने के कारण श्री संजू जैन पत्नी श्री महेश कुमार जैन द्वारा आवासन मण्डल मे वसीयतनामा के आधार पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त पंजीकरण का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री संजू जैन पत्नी श्री महेश कुमार जैन का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। **भवदीय,**
सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल वृत-प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक: 1040 दिनांक: 30.04.2024
जाहिर आम-सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में **आवास/फ्लेट संख्या 3/B/01 (G-F) (MIG-A)**, (एरिया 52.34 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन **श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री राजकुमार जैन** को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 10993 दिनांक 09.01.2015 को जारी किया गया। श्री मुकेश कुमार जैन के पक्ष में उक्त आवास/फ्लेट के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 06.05.2015 को उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री मुकेश कुमार जैन द्वारा उक्त आवास/फ्लेट का विक्रय दिनांक 19.11.2020 को श्रीमती सरोज जैन पत्नी श्री देवकीनन्दन जैन के नाम किया जाकर विक्रय पत्र उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती सरोज जैन की मृत्यु दिनांक 02.05.2021 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री भुवनेश जैन पुत्र श्री देवकीनन्दन जैन द्वारा उक्त आवास/फ्लेट को अपने नाम हस्तांतरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास/फ्लेट के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 07 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, **श्री भुवनेश जैन पुत्र श्री देवकीनन्दन जैन** का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
संपदा प्रबंधक,राज. आवा. मण्डल, वृत-प्रथम,प्रताप नगर,सांगानेर, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण सूचित रहे कि मेरे अभिभाष्य बब्बू सिंह (रिटायर जेलर) पुत्र स्वर्गीय श्री मानसिंह राजपूत निवासी प्लाट नम्बर सी 4 व 5 मान विहार, हरि मार्ग, सिविल लाईन, जयपुर का निवासी है। मेरे अभिभाष्य का पुत्र देवेन्द्र सिंह पुत्र बब्बू सिंह (रिटायर जेलर) निवासी उक्त द्वारा मेरे अभिभाष्य की समस्त चल व अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में बनाया गया तथाकथित मुख्त्यारनामा, तथाकथित वसीयत इत्यादि समस्त दस्तावेजात को मेरे अभिभाष्य निरस्त करता है तथा मेरे अभिभाष्य के पुत्र देवेन्द्र सिंह को मेरे अभिभाष्य की समस्त चल व अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही करने का एवं कोई साम्पतिक अधिकार नहीं रहा है व ना होगा तथा मेरे अभिभाष्य अपनी समस्त चल व अल सम्पत्ति से देवेन्द्र सिंह को बेदखल करता है तथा बैंक, एफडीआर इत्यादि में नोमिनी को निरस्त करता है देवेन्द्र सिंह आज के बाद मेरे अभिभाष्य की समस्त चल व अल सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा तथा यदि उसके द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है तो वह मेरे अभिभाष्य के हक अधिकारों की प्रति अवैध व शून्य होगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा तथा मेरे अभिभाष्य जिम्मेदार नहीं। सूचित रहे।
(गणेश विजयवर्गीय, एडवोकेट)
मो. 9314962747

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय ADJ-05 जयपुर महा. द्वितीय
ममता सक्सैना व अन्य विरूद्ध अजय करोलीवाल व अन्य
वाद बाबत C.I.
वाद सं. 14/24
बनाम राजेय करोलीवाल पुत्र स्व. महेश नारायण करोलीवाल स्थान 365/4 रायजी का घैर, चाँदी की टकसाल, जयपुर।
वादिनी ने आपके विरूद्ध....के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 13 माह 05 सन् 24 को दिन में 8.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 29 माह 04 सन् 24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
आज्ञा से
मोहर अदालत अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-5 जयपुर महानगर द्वितीय

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर जोन)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(अम्बाबाडी सर्किल, अम्बाबाडी जयपुर)
क्रमांकः-एफ-55 ( ) वि.जोन/ ज.न.नि./2024/107
दिनांकः-25/04/2024
सार्वजनिक सूचना
भूखंड सं. 263, संजय नगर डी, झोटवाड़ा (सयुंक गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री मोहसीन खान पुत्र श्री अनवर खान को क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। प्रकरण में मूल आवंटी की मृत्यु उपरान्त आवेदक श्रीमती रूकसाना बैगम पत्नी श्री अनवर खान द्वारा रजि. हकत्याग एवं वारिसनामा प्रस्तुत कर क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज भूखंड का नाम हस्तांतरण अपने पक्ष में चाहा गया है। उक्त भूखंड के नाम हस्तांतरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 07 कार्यदिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तांतरण की कार्यवाही संपादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त
विद्याधर जोन
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/84 दिनांक-22.04.2024
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या एस-13, सेक्टर-4 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 9.9 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री सत्यनारायण अग्रवाल पुत्र श्री राम कुमार को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 716 दिनांक 20.02.2001 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 17.05.2001 को प्राप्त कर लिया गया था। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1214 दिनांक 09.07.2010 के द्वारा श्री सत्यनारायण अग्रवाल पुत्र श्री राम कुमार के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त भूखण्ड के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 30.03.2011 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री सत्यनारायण अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 16.05.2021 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण अग्रवाल ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है।
अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण अग्रवाल के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर